हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

No-BSEH/Cond/2023

Notification No. 01 /2023
DATE: 11-09-2023

"सार्वजनिक सूचना"

- विद्यालय नए परीक्षा केन्द्र के लिए 30 सितम्बर तक कर सकते हैं आवेदन।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2024 के लिए राजकीय व अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय नया परीक्षा केन्द्र बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित 30 सितम्बर, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

जो विद्यालय सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा मार्च-2024 के लिए नया परीक्षा केन्द्र बनवाना चाहते हैं, तो वह बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध फार्म को डाऊनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की सिफारिश सहित निर्धारित तिथि 30 सितम्बर, 2023 तक बोर्ड कार्यालय में दस्ती/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा/भेज सकते हैं। नया परीक्षा केन्द्र बनवाने सम्बन्धित आवश्यक दिशानिर्देश एवं नियम/शर्तें बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है।

सैकेण्डरी परीक्षा के नए केन्द्र हेतु कम से कम 200 परीक्षार्थी व सीनियर सैकेण्डरी के लिए 150 परीक्षार्थियों का होना आवश्यक है। नए परीक्षा केन्द्र के लिए 12000/-रूपये एवं निरीक्षण शुल्क 3000/-रूपये निर्धारित है।

नए परीक्षा केन्द्र निर्माण हेतु आवेदन फार्म के साथ भवन की योजना तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के लिए भवन के जिस भाग को प्रयोग किया जाना है वह हिस्सा लाल पेंसिल से अंकित किया जाना आवश्यक है। यह भी इंगित किया जाना है कि हॉल और कमरे आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, प्रत्येक कमरे व हॉल का माप भी दर्शाया जाना है। विद्यालय भवन मुख्य सड़क के पास हो तथा विद्यालय भवन के 16 कमरों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी आवश्यक है।

सहायक सचिव (संचालन)
कृते: सचिव